म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर –482008

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/चार/ 1732 दिनांक 23 JUN 2014

आदेश

म.प्र. शासन, चिकित्सा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 9–2/2010/सत्रह/मेडी–3 दिनांक 05.02.2013 को अधिग्रहित करते हुये **एम.पी.बिरला हास्पिटल एण्ड प्रियम्बदा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सतना** को म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड अपने अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों की जॉच/उपचार हेतु म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित दरों पर आदेश जारी होने की तिथि से दिनांक 02.03.2015 तक के लिये सशर्त अनुशंसित/चिन्हित करती है ।

2. उपरोक्त चिकित्सा संस्थान में जांच/उपचार के लिये शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्ते निम्नानुसार होगी :–

(1) उपरोक्त चिकित्सा संस्थानों में जॉच कराने के पूर्व कंपनी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और निकटतम शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के रोग से संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुमति/अभिमत लेना आवश्यक होगा तथा चिकित्सा हेतु कंपनी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा ।

(2) उपरोक्त चिकित्सा संस्थान के द्वारा कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा ।

(3) उपरोक्त चिकित्सा संस्थान के द्वारा कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों के अनुसार ही भुगतान प्राप्त किया जावेगा ।

(4) उक्त चिकित्सा संस्थान में जॉच/उपचार कराने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित दरों अथवा चिन्हित चिकित्सालय के दर पर, जो भी कम हो, में से ग्राह्य राशि का केवल 75% की सीमा तक की पात्रता होगी ।

(5) मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय–समय पर चिकित्सा संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जॉच कर सकेंगे ।

(6) उपरोक्त चिकित्सा संस्थानों को दरों की सूची, चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा ।

(7) किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर कंपनी के द्वारा उपरोक्त चिकित्सा संस्थान का चिन्हितकरण किसी भी समय, बिना किसी पूर्व सूचना के, समाप्त किया जा सकेगा ।

आदेशानुसार

मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स एवं आई.टी.)
म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,जबलपुर

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/चार/ 1733 दिनांक 23 JUN 2014

प्रतिलिपिः–

1. कार्यपालक निदेशक (एच.आर.एण्ड ए.), म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
2. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
3. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशा.), म.प्र.मध्य क्षे.वि.वि.कं.लि., भोपाल।
4. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशा.), म.प्र.पश्चिम क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर।
5. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशा.), म.प्र.पूर्व क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर।
6. मुख्य अभियंता (मानव संसाधन विकास)/(सीआरए)/(योजना एवं रूपांकन)/(अति उच्च दाब–संधारण एवं निरीक्षण)/(राज्य भार प्रेषण केन्द्र)/(अति उच्च दाब–निर्माण)/(प्रोक्योरमेंट)/(परीक्षण एंव संचार)/(सिविल–ट्रांसमिशन), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
7. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड चिकित्सालय, जबलपुर ।
9. सलाहकार (परीक्षण एवं संचार), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
10. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ट्रांस.–भण्डार), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
11. अतिरिक्त निदेशक (वित्त)/(लेखा), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।